बूथ लेवल अधिकारी
ई पत्रिका

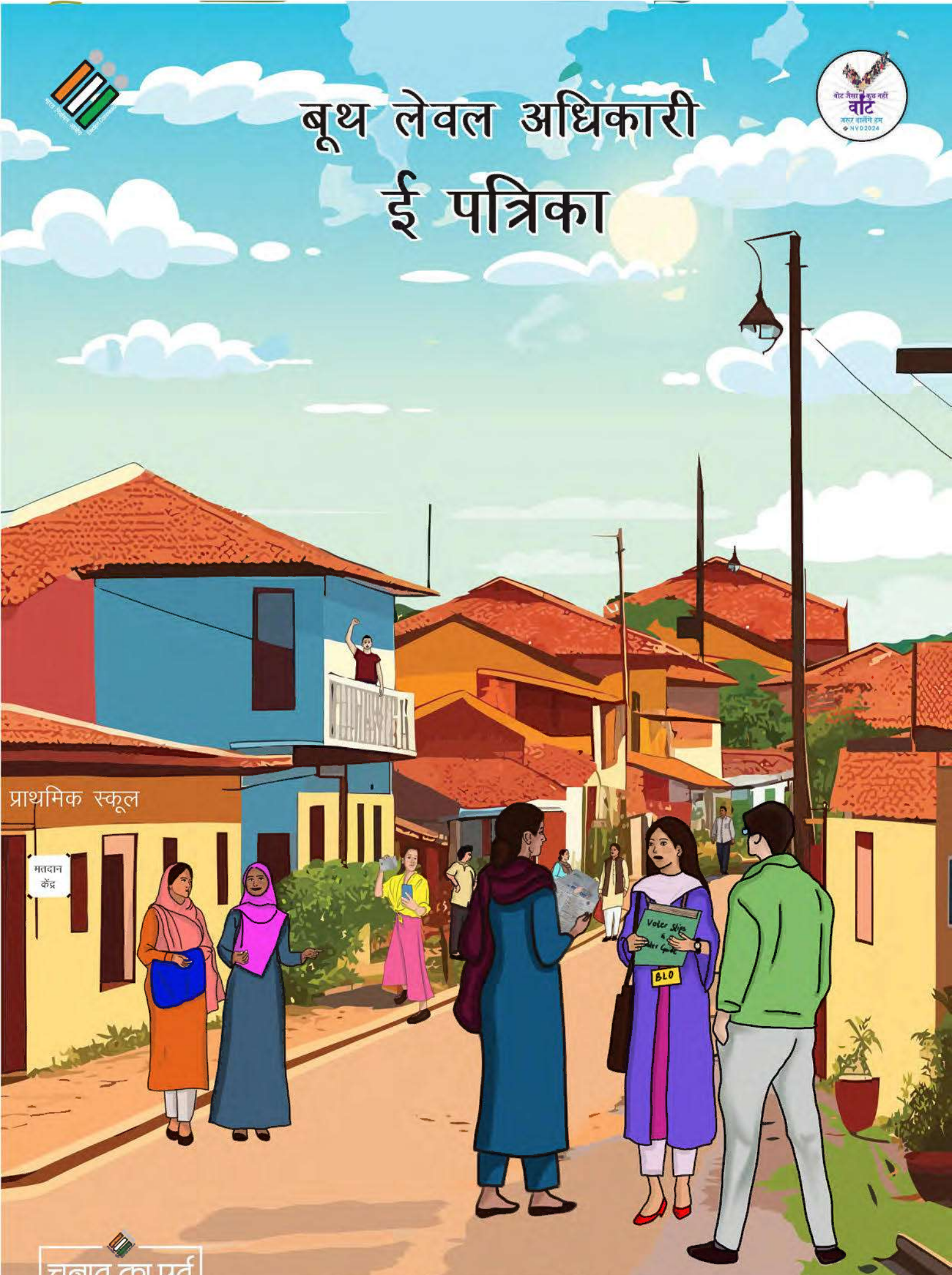

चुनाव का पर्व
DESH KA GARV
LOK SABHA ELECTION 2024

एक बीएलओ अपने क्षेत्र में मतदाता सूचना पर्चियाँ और मतदाता मार्गदर्शिकाएँ वितरित करती हुई।

खंड 11

चुनाव का पर्व
DESH KA GARV
LOK SABHA ELECTION 2024

भारत निर्वाचन आयोग और इसका चुनावी तंत्र नियमों (प्रोटोकॉल) का सख्ती से पालन करके चुनावी सत्यनिष्ठा को बनाए रखने में बहुत गर्व महसूस करता है।

वर्तमान आम चुनाव 2024 के साथ, आयोग और राज्य निर्वाचन तंत्र चुनावों को सही मायनों में समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।

यह भागीरथी उपक्रम निष्ठावान तंत्र का एक सामूहिक प्रयास है जिसमें बूथ लेवल अधिकारी जमीन पर मतदाताओं से परस्पर संवाद करने वाले, उन्हें जोड़ने वाले, और उनकी सहायता करते हुए आयोग के दूत के रूप में कार्य करते हैं।

सम्पादक मंडल

एन एन बुटोलिया
सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी
(इलेक्टरल रोल)

अशोक कुमार
डायरेक्टर, (आईटी)

कुलदीप कुमार सेहरावत
डायरेक्टर (ट्रेनिंग)
(आईआईआईडीईएम-प्रशिक्षण)

एस. सुंदर राजन
निदेशक (ईवीएम)

दीपाली मासिरकर
डायरेक्टर
(इलेक्शन प्लानिंग)

संतोष अजमेरा
डायरेक्ट (रस्वीप)
मेंबर कन्वीनर (सदस्य समन्वयक)

सम्पादक मंडल

आर के सिंह
कोऑर्डिनेटर, स्वीप

अनुज चांडक
जॉइंट डायरेक्टर
मीडिया

रजनी उपाध्याय
कम्युनिकेशन कंसलटेंट

फराह अल्वी
ग्राफिक डिजाइनर

प्रशांत कुमार
सहायक निदेशक
हिंदी

राहुल कुमार
अनुभाग अधिकारी

मतदान दिनों में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की भूमिका

चुनाव के समय बीएलओ की भूमिका और जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। उन्हें अपने कर्तव्यों का काफी अच्छी तरह से निर्वहन अवश्य करना चाहिए ताकि मतदान के दिन मतदाताओं को सुविधा एवं सहूलियत मिल सके और जिससे अंततः मतदान में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ सके। बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के महत्वपूर्ण कर्तव्य नीचे दिए गए हैं:

बीएलओ के पास अद्यतन मतदाता सूची अवश्य होनी चाहिए

बीएलओ का मुख्य ध्यान अद्यतन मतदाता सूची पर केंद्रित होना चाहिए। उन्हें यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र मतदाता सूची में शामिल हों। इसके अलावा, बीएलओ को मतदाताओं को इस बात के लिए अवश्य प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे मतदाता सूची में अपने नामों की जांच करें। मतदाता सूची में अपना नाम खोजने में निर्वाचक की सहायता किस प्रकार करें? वोट डालने के लिए यह जरूरी है कि निर्वाचक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।

1. वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल करें
2. voters.eci.gov.in
3. 1950 पर एसएमएस करें : ECI <space> <EPIC NO>

मतदाता पर्ची उपलब्ध कराना और मतदाता गाइड का वितरण

मतदान दिवस से पहले मतदाताओं के घरों में मतदाता पर्चियों का वितरण करना बीएलओ की और एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बूथ लेवल अधिकारियों को अपने क्षेत्र में मतदाता पर्चियों का 100% वितरण अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए ताकि मतदाता सभी महत्वपूर्ण विवरणों जैसे मतदान केंद्र का नाम, मतदान बूथ का भाग और मतदान के दिन की तारीख से अवगत हो। मतदाता पर्ची मतदाताओं को इस बात की पुष्टि करती है कि उनका नाम मतदाता सूची में है और वे अपना वोट डाल सकते हैं। बीएलओ को मतदाताओं को मतदान के दिन मतदान करने के लिए जरूर प्रोत्साहित करना चाहिए।

बूथ लेवल अधिकारियों को इस मौके का उपयोग मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया, पहचान कार्ड और मतदान में सहूलियत के लिए वोट डालने की प्रक्रिया के बारे में स्थानीय भाषा में जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना चाहिए।

मतदान प्रक्रिया

क्या आप जानते है

अमिट स्याही

- अमिट स्याही एक अर्ध–स्थायी रंजक (डाई) होता है जिसे एक से अधिक बार मतदान करने से रोकने के लिए मतदाता की बायीं हाथ की तर्जनी पर लगाया जाता है।
- इसका उद्देश्य लोगों को चुनाव के दौरान एक से अधिक बार मतदान करने से रोकना है। इस तरह, इससे मतदान प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता बनाए रखने में मदद मिलती है।
- अमिट स्याही 1961 में सीएसआईआर की संघटक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला(एनपीएल), नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई थी और 1962 में मैसूर पेंट्स एण्ड वार्निश लिमिटेड(एमपीवीएल) (कर्नाटक सरकार का एक उपक्रम) को लाइसेंस जारी किया गया था।
- सीएसआईआर–एनआरडीसी और एमपीवीएल के बीच अमिट स्याही के अनन्य विनिर्माण के लिए एक समझौता किया गया था। तब से, एमपीवीएल भारत निर्वाचन आयोग के लिए भारत में अमिट स्याही की एकमात्र अधिकृत विनिर्माता रही है।

वोट देने के लिए अनुमोदित पहचान दस्तावेजों/आईडी प्रूफ में से कोई एक साथ ले जाएं

- मतदाता पहचान कार्ड (एपिक)
- आधार कार्ड
- विशिष्ट नि:शक्तता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड
- एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- पेंशन दस्तावेज
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सेवा पहचान कार्ड
- पासपोर्ट
- बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान कार्ड
- पैन कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय)

लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में स्वीप गतिविधियाँ

पहले चार चरणों के चुनाव में मतदाता अपना वोट डाल रहे हैं

बूथ-स्तरीय सुविधाओं को बढ़ावा देना

भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाने के प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीएलओ जमीन पर आयोग के दिशानिर्देशों और मिशन के संदेशवाहक और सूत्रधार होने के नाते बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीएलओ को प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं के बारे में व्यापक रूप से बताना चाहिए ताकि मतदाताओं को मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर आने के लिए आश्वस्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना भी न करना पड़े। मतदाताओं को सूचित किया जाना चाहिए कि:

1. प्रत्येक मतदान केंद्र अवश्यतया भूतल पर होना चाहिए, और इसमें पेयजल, प्रतीक्षा शेड, पानी के साथ शौचालय, उचित प्रकाश व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैम्प और मानक वोटिंग कम्पार्टमेंट जैसी सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ) शामिल होनी चाहिए।

2. बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों की पहचान की जाए और उन्हें उनके संबंधित मतदान केंद्रों के साथ, सुचारू मतदान के लिए आवश्यक निःशक्तता–विशिष्ट व्यवस्थाओं के सहित, टैग किया जाए।

3. बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को मतदाताओं को यह अवश्य बताना चाहिए कि स्वयंसेवक पोलिंग बूथों पर अभिज्ञात दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकों की सहायता करेंगे।

4. मतदाताओं को यह जरूर मालूम होना चाहिए कि मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक निर्वाचकों के लिए उपयुक्त परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं।

5. दिव्यांगजन निर्वाचक सक्षम–ईसीआई ऐप पर पंजीकरण करके व्हीलचेयर सुविधाओं के लिए अनुरोध कर सकते हैं, जैसा कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा बताया गया है।

मतदान प्रक्रिया को समावेशी और सुगम बनाने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने 'होम वोटिंग' सेवा शुरू की है। इस सेवा के माध्यम से, बेंचमार्क प्रमाण पत्रों वाले निःशक्तजन (पीडब्ल्यूडी) और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अपने घरों से अपना वोट डाल सकते हैं। बीएलओ को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र निर्वाचक अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस सुविधा का समय पर लाभ उठाएं।

बीएलओ को मतदान के दिन मतदाताओं की सहायता करने के लिए

मतदाता सहायता बूथ पर बीएलओ।

मतदान बूथ पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध है।

बीएलओ को मतदाता द्वारा अपेक्षित कोई भी सहायता के लिए मतदान के दिन सहायता डेस्क पर अवश्य उपलब्ध होना चाहिए।

डिजिटल क्रांति: चुनावों के दौरान आईटी एप्लीकेशनों के उपयोग को बढ़ावा देना

पिछले कुछ वर्षों में, आयोग ने मतदाता पंजीकरण के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाया है, जिसमें मतदाता अपने विवरण को ऑनलाइन सत्यापित और अद्यतन कर सकते हैं। इसने सुविधा और जुड़ाव को बढ़ाया है, दुरुस्त निर्वाचक नामावलियां सुनिश्चित की हैं। आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन लांच किए हैं। बीएलओ को ये एप्लीकेशन अपने–अपने क्षेत्रों में मतदाताओं और आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाने चाहिए। लोकप्रिय मतदाता–उन्मुख एप्लीकेशन आगे दिए गए हैं:

वोटर हेल्पलाइन ऐप

1. वन–स्टॉप समाधान एक एकल प्लेटफार्म पर सुविधाजनक तरीके से पंजीकरण कराने और चुनाव संबंधी सेवाएं प्रदान करता है।
2. आप पूर्व–सूचित निर्णय लेने के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के विवरणों को आसानी से देख सकते हैं।

सीविजिल ऐप

1. उपयोगकर्ताओं को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघनों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।
2. नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
3. उल्लंघन के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए जीपीएस का उपयोग करता है।
4. उपयोगकर्ताओं को केवल लाइव घटनाओं को कैप्चर करने की अनुमति देता है।
5. शिकायत की प्रगति का पता–ठिकाना रखता है।
6. एमसीसी उल्लंघन के मामले को गुमनाम रूप से रिपोर्ट करने की सुविधा है।

अपने उम्मीदवार को जानें (नो योर कैंडीडेट) ऐप

1. यह मतदाताओं को उम्मीदवारों की उनके नामों से खोजबीन करने की अनुमति देता है।
2. यह उम्मीदवार के आपराधिक पूर्ववृत्त, यदि कोई हो, के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है।
3. यह उम्मीदवार के खिलाफ दायर किसी भी आपराधिक मामले की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
4. यह उन अपराधों का स्वरूप दर्शाता है जिनका उम्मीदवार पर आरोप लगाया गया है।
5. यह एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है।

सक्षम-ईसीआई

1. नए दिव्यांगजन वोटर कार्ड के लिए आवेदन करें।
2. अपने आप को दिव्यांग व्यक्ति(पीडब्ल्यूडी) के रूप में चिह्नित करें।
3. जरूरत पड़ने पर व्हीलचेयर के लिए आवेदन करें।
4. अभिगम्यता सुविधाएं अंतःनिर्मित हैं

ईसीआई के राष्ट्रीय प्रतीक

सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट लीजेंड

राज कुमार राव, अभिनेता

एक आदर्श मतदान केंद्र और एक विशिष्ट मतदान केंद्र के बीच का अंतर मुख्य रूप से उनकी विशेषताओं और उद्देश्यों में निहित है:

- आदर्श मतदान केंद्र क्षेत्र, जिले या राज्य के किसी भी विशिष्ट या लोकप्रिय पहलू को उजागर करने के लिए एक स्थापित किया जाता है।
- आदर्श मतदान बूथ मतदाताओं को मतदान बूथों की ओर आकर्षित करने और चुनावी प्रक्रिया को उत्सवपूर्ण रूप देने के लिए स्थापित किए जाते हैं।
- मतदाता को स्वागत योग्य और महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए आदर्श मतदान केंद्रों को थीम के अनुसार फूलों के लटकनों, गुब्बारों की पंक्तियों से सजाया जाता है।

क्या आप जानते थे?

रोचक तथ्य

आदर्श मतदान केंद्र:

- विशिष्ट मतदान केंद्र दूरवर्ती या दुर्गम क्षेत्रों, द्वीपों, जनजातीय क्षेत्रों या विशिष्ट जनसांख्यिकीय संरचनाओं वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं।
- विशिष्ट मतदान केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता, चाहे उनका लोकेशन या परिस्थितियां कुछ भी हो, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
- विशिष्ट मतदान केंद्रों में मतदान की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं और संभारतंत्रीय उपाय किए जा सकते हैं, जैसे परिवहन सहायता, मतदान समय बढ़ाना, या नवोन्मेषी संचार विधियां।
- विशिष्ट मतदान केंद्र की विशिष्टता भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक महत्व, या संभारतंत्रीय चुनौतियों जैसे विभिन्न कारकों से उत्पन्न होती है।

विशिष्ट मतदान केंद्र:

अनोखे मतदान केंद्र का एहसास

दक्षिण अंडमान: डुगोंग क्रीक लिटिल अंडमान एएनआई पीसी, ३४०- डुगोंग क्रीक लिटिल

मतदान केन्द्र सं. 340 डुगोंग क्रीक, लिटिल अंडमान द्वीप समूह में स्थित है जहां ओंगी जनजाति के लोग रहते हैं। ओंगी जनजाति सिर्फ 100 वर्षों से बाह्य सभ्यता के संपर्क में रही है। शुरू में, ओंगी जनजाति लिटिल अंडमान में अलग–अलग समूहों में बसी हुई थी, लेकिन बाद में वे लोग लिटिल अंडमान में दो स्थानों डुगोंग क्रीक और साउथ बे में बस गए। 2004 की सुनामी के बाद, साउथ बे की ओंगी जनजाति के लोग स्वेच्छा से स्थान बदलकर डुगोंग क्रीक, लिटिल अंडमान में बस गए। डुगोंग क्रीक ओंगी जनजाति के लिए गहरा महत्व रखता है, जिसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और इसका बहुत अधिक मानवशास्त्रीय महत्व है। चुनाव मशीनरी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए परिश्रमपूर्वक प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक नागरिक को वोट देने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर मिले। अलग–थलग पड़े द्वीप में 68 मतदाताओं का वोट लेने के लिए पोलिंग पार्टी मतदान दिवस से दो दिन पहले यात्रा करती है। लिटिल अंडमान पहुंचने में पानी के जहाज से छह घंटे लंबी यात्रा करनी पड़ती है। तब पोलिंग पार्टी अगले दिन डुगोंग क्रीक के लिए मतदान सामग्री के साथ एक डुंगी (छोटी नाव) पर रवाना होती है। ओंगी बस्ती तक पहुंचने के लिए घनी खाड़ी से होकर गुजरने में डेढ़ घंटे का समय लगता है। पोलिंग पार्टी अलग–थलग पड़े द्वीप पर रात गुजारती है और अगले दिन मतदान प्रक्रिया निष्पादित करती है। सुदूर और अलग–थलग लोकेशन पर स्थित होने के बावजूद, ओंगी जनजाति लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भाग लेती है, जिसका आकलन पिछले आम चुनाव से किया जा सकता है।

मतदान केंद्र: गवर्नमेंट सीनियर बेसिक स्कूल, बितरा, लक्षद्वीप

गवर्नमेंट सीनियर बेसिक स्कूल, बितरा का मतदान केंद्र, बितरा द्वीप पर स्थित है, जो लक्षद्वीप का उत्तर–पश्चिमी सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। द्वीप की कुल आबादी 293 है, जिसमें कुल मिलाकर 243 निर्वाचक रहते हैं। यह द्वीप जिला मुख्यालय, कवरत्ती से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए जहाज द्वारा लगभग 6 से 8 घंटों की समुद्री यात्रा करनी पड़ती है।

वर्ष 2019 के आम चुनावों, जब द्वीप में पिछली बार चुनाव आयोजित किए गए थे, के दौरान लक्षद्वीप के निर्वाचन विभाग ने चुनावी प्रक्रिया का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए थे। इसमें मतदान सामग्री और कार्मिक को बितरा तक समय रहते पहुंचाने के लिए विशेष जहाज की व्यवस्था करने के साथ–साथ मतदान में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम)/वीवीपैट और अन्य सांविधिक दस्तावेजों को कवरत्ती समय पर पहुंचाया जाना सुनिश्चित करना शामिल था।

रसद व्यवस्था की चुनौतियों के बावजूद, द्वीप में 2019 के आम चुनावों के दौरान 94.50% इतनी प्रभावशाली मतदाता भागीदारी दर्ज हुई, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के प्रति इसके निवासियों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

कर्म-क्षेत्र

मेरा नाम मधुमाला है और मुझे बूथ नं. 86 बंजारू माले, दक्षिण कन्नड़ का बीएलओ होने पर बहुत गर्व है। मेरे बूथ पर 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में 100% मतदान हुआ। बंजारू माले मंगलुरू से 125 किलोमीटर दूर स्थित चारमाडी घाट में घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। बंजारू माले को यह नाम इस कारण से मिला कि इस क्षेत्र को मानव बस्ती के लिए प्रतिकूल माना जाता था।

नेरिया ग्राम पंचायत के बंजारू माले में स्थानीय जनजाति समुदाय– मालेकुडिया से 111 मतदाता (48 घर) हैं। उचित सड़कें और मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण इस जनजातीय बस्ती तक लोगों की पहुंच नहीं है। पहली बार बंजारू माले के सामुदायिक हॉल में 2015 पोलिंग बूथ बनाया गया था। वर्ष 2015 तक, यहां के निवासी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगभग 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा करते थे।

मैं पिछले छह वर्षों से बंजारू माले मतदान केंद्र पर बीएलओ के रूप में सेवा कर रही हूं। मैंने बस्ती के सभी 48 घरों का दौरा किया है और निवासियों से बंजारू माले मतदान केंद्र पर 100:मतदान सुनिश्चित करने की अपील की है। मैंने निवासियों की सद्भावना हासिल करने के लिए त्योहारों में भी भाग लिया। पिछले कुछ वर्षों से मैं इस बात के लिए प्रयासरत हूं कि बंजारू माले मतदान केंद्र के लिए 100 प्रतिशत मतदाता भागीदारी हासिल की जाए जिसके लिए ग्रामीणों की सभी शिकायतों का जल्द से जल्द निवारण किया जाए।

मतदान के दिन, 26 अप्रैल 2024 को, सभी मतदाताओं (51 पुरुष और 60 महिला मतदाताओं) ने मतदान केंद्र 86 पर 100 प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह सभी वरिष्ठ अधिकारियों और ईएलसी–एसएलएमटी डॉ. प्रमिला राव के प्रोत्साहन के कारण संभव हुआ, जो मतदान दिवस से एक सप्ताह पहले हमारे साथ रही थीं।

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

चुनाव का पर्व
DESH KA GARV
LOK SABHA ELECTION 2024

क्या आप जागरूक मतदाता हैं?

अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक उम्मीदवार का विवरण जांचने के लिए KnowYourCandidate (केवाईसी) ऐप डाउनलोड करें एक जागरूक मतदाता बनें

"केवाईसी फिल्म" देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

लॉग इन करें : elections24.eci.gov.in

Android

iOS

अब केवाईसी ऐप को स्कैन करें और डाउनलोड करें

मतदाता हेल्पलाइन पर कॉल करें
1950

मतदाता सूची में अपना नाम जांचने और अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तारीख जानने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें

#IVoteForSure | #MeraVoteDeshKeLiye